

मा:

त प्रपत्र  
त किये

विवास  
विधिकृत नाम संस्था मानव सेवा संस्थान समरानिया तहूँ शाहबाद

नाम:-  
प्रावेदन

पंजीकृत:-

शपथ

तथा

एवं मे

अटी के

देश

तावली

ने साली

जनुग्रह

बैज्युएट

ग ढे या

दे किसी

हों तथा

सम्पर्क

त प्रभाव

विधारित

राज्य ठी

परीक्षा

मौजूदा

मौजूदा

## संघ विधान पत्र

इस संस्था का नाम मानव सेवा संस्थान समरानिया  
समिति/सोसाइटी/संस्थान है व रहेगा।



संस्था के उद्देश्य इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य :-

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवारों के लिये केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को उन तक पहुँच बनाने में सहयोग प्रदान करना।

2. गांधी द्वारा से वंचित युवक, युवती, विकलांग, घेसहारा व अनाथों को शिक्षा से जोड़ने के लिये सहयोग करना।

3. ग्रामीण युवाओं व नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं शारिरिक विकास के लिये गंच तैयार करना।

4. ग्रामीण युवाओं में आत्मनिर्भता, सहयोग तथा स्वेच्छा से समाज सेवा करने की भायना पैदा करना।

5. शुदा कल्याण के लिये रवनात्मक कार्यक्रम हाथ में लेना जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, निवारण वातावरण निर्गाण, मूल्यांकन

संस्था के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति और हमारा व्यक्तिगत कोई लाभ निहित है।

नहीं है।

J. M. Singh  
अधिकारी

कोषालगढ़

मॉनिटरिंग, नशाबन्दी, दहेज विशेषी अभियान चलाना व बाल विवाह पर रोक लगाना आदि शामिल है।

- 6- युवाओं में चरित्र, स्वारक्ष्य, अनुशासन अधेरे नेतृत्व के गुण, भित्तियता, बचत तथा वैज्ञानिक दृष्टीकोण पैदा करना।
- 7- विकासशील कार्यकर्मों को आयोजित करने तथा रामाजिक व आर्थिक विकास के उत्तरदायित्वों को बहन करने की क्षमता पैदा करना। उत्पादन केन्द्र चलाना और सामाजिक उत्थान हेतु शैक्षणिक राहितिक एवं विद्युत्कारणीय शिविरों का संबोलन करना।
- 8- विशिन्न योजनाओं की विधानसभा वेतु विविर आयोजित कर आम लोगों तक पहुंचना तथा सर्वे विषयों का कार्य करना।  
  
शिर्ष (संजय)
- 9- प्राकृतिक एवं असामाजिक विपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्फ, आग, गहामारी, दुर्घटनाओं यदि में सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ राज्य सरकार के कार्यों में हाथ बटाना।
- 10- गहिलाओं य बच्चों के रावणीय विकास जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, आर्थिक, औद्योगिक, कुटीर लघ्योग, कृषि, खादी ग्रामोहद्योग, मुनिस्थापना, निराश्रितों को संरक्षण एवं आवासीय समस्याएं आदि सुलझाना सामिल है।
- 11- जनसंरक्षणों जिसमें बालबाड़ी, पिद्यालय, प्री-इश्का केन्द्र अनौपचारिक शिक्षा, उत्तर राज्यरता अभियानों, व्यस्क शिक्षा, महिला शिक्षा, छात्रावास, शिशुपालन केन्द्र एवं परिवार परामर्श केन्द्र

संस्था के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ती में हमारा व्यक्तिगत कोई लाभ निहित नहीं है।

परीक्षा  
अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

# मानव सेवा संस्थान समरानिया तहसील शाहबाद जिला बाराँ

## प्रबन्ध कार्यकारिणी की सूची

निर्वाचन आमसमा दिनांक 20.02.2020

क्र.सं.	नाम व पिता/पति का नाम	सदस्यता क्रमांक	आयु	व्यावसाय	पूर्ण पता	पद सीपा गया
1	श्रीमति फरीदा पत्नि श्री मुकेश साहु	1	38	सामाजिक कार्यकर्ता	1388 बिहारी जी का टीला विजय नगर कच्छी वस्ती घारं नं० ६९ जयपुर जिला जयपुर (राज.)	अध्यक्ष
2	श्री मोहन सिंह पुत्र श्री लितरु राम वर्मा	2	38	सामाजिक कार्यकर्ता	ग्राम ईसाठोरी पोस्ट खापडालहरोल तह. शाहबाद जिला बाराँ (राज.)	मंत्री
3	श्री दीपचन्द्र पुत्र श्री नेमीचन्द्र	3	27	सामाजिक कार्यकर्ता	ग्राम व पोस्ट खटका तह.शाहबाद जिला बाराँ (राज.)	कोषाध्यक्ष
4	श्री लखनलाल पुत्र श्री चिन्दा सहरिया	4	28	सामाजिक कार्यकर्ता	ग्राम ऊनी पोस्ट खुशियारा तह.शाहबाद जिला बाराँ (राज.)	साधारण
5	श्री बलराम पुत्र श्री देवकिशन	5	32	सामाजिक कार्यकर्ता	मामोनी तहसील शाहबाद जिला बाराँ (राज.)	साधारण
6	श्रीमति शकुन्तला पत्नि श्री रघुनाथ सहरिया	6	49	सामाजिक कार्यकर्ता	ग्राम पैनावा पोस्ट बालदा तह. शाहबाद जिला बाराँ (राज.)	साधारण
7	श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री धन्नालाल	7	39	टेन्ट हाउस	ग्राम व पोस्ट फरेदुआ तह. शाहबाद जिला बाराँ (राज.)	साधारण

अध्यक्ष



मंत्री

कोषाध्यक्ष

राजस्थान सोसायटी अधिनियम 1958 की  
वारा 19 के अन्तर्गत यह प्रमाणित किया जाता  
है कि यह पत्रादि संस्था के संबन्ध में प्रस्तुत  
किये गए पत्र जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ  
संख्या:-१३७। २०१८ - २०१९ तक उपलब्ध  
है की प्रमाणित प्रति है।

प्रमाणित प्रति देने की दिनांक:-

19/३/२०२०  
राजस्थान  
संस्थान बाराँ जिला बाराँ (राज.)

# मानव सेवा संस्थान समरानिया तहसील शाहबाद जिला बाराँ

## संस्था की वर्तमान सदस्यता सूची

क्र. सं.	नाम व पिता/पति का नाम	सदस्यता क्रमांक	आयु	व्यवसाय	पूर्ण पता	संदस्यों की श्रेणी
1	श्रीमति फरीदा पत्नि श्री मुकेश साहु	1	38	सामाजिक कार्यकर्ता	1300 शिहारी जी का टीला विजय नगर कच्ची बस्ती वार्ड नं० ६९ जयपुर जिला जयपुर (राज.)	संरक्षक
2	श्री मोहन सिंह पुत्र श्री लितरु राम वर्मा	2	38	सामाजिक कार्यकर्ता	ग्राम ईसाटोरी पोस्ट खाण्डासहरोल तहसील शाहबाद जिला बाराँ (राज.)	विशिष्ट
3	श्री दीपचन्द पुत्र श्री नेमीचन्द	3	27	सामाजिक कार्यकर्ता	ग्राम व पोस्ट खटका तह.शाहबाद जिला बाराँ (राज.)	सम्मानीय
4	श्री लखनलाल पुत्र श्री चिन्ता सहरिया	4	28	सामाजिक कार्यकर्ता	ग्राम ऊनी पोस्ट खुशियारा तह.शाहबाद जिला बाराँ (राज.)	साधारण
5	श्री बलराम पुत्र श्री देवकिशन	5	32	सामाजिक कार्यकर्ता	मामोनी तहसील शाहबाद जिला बाराँ (राज.)	साधारण
6	श्रीमति शकुन्तला पत्नि श्री रघुनाथ सहरिया	6	49	सामाजिक कार्यकर्ता	ग्राम पैनावा पोस्ट बाल्दा तहसील शाहबाद जिला बाराँ (राज.)	साधारण
7	श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री धन्नालाल	7	39	टेन्ट हाउस	ग्राम व पोस्ट फरेदुआ तहसील शाहबाद जिला बाराँ (राज.)	साधारण



8	सुश्री मीना पुत्र श्री पॉच्या सहरिया	8	36	सामाजिक कार्यकर्ता	ग्राम व पोर्ट समरानिया तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)	साधारण
9	सुश्री कपूरी पुत्र श्री मन्नूलाल सहरिया	9	26	सामाजिक कार्यकर्ता	ग्राम व पोर्ट समरानिया तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)	साधारण
10	श्री इन्द्रलाल पुत्र श्री नारायण सहरिया	10	36	कृषक	ग्राम व पोर्ट ढिकवानी तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)	साधारण
11	श्रीमति रामकली पत्नि श्री रामचरण वर्मा	11	41	कृषक	ग्राम ईसाटोरी पोर्ट खाण्डासहरोल तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)	साधारण
12	श्री रामसिंह पुत्र श्री हीरालाल	12	46	कृषक	ग्राम ईसाटोरी पोर्ट खाण्डासहरोल तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)	साधारण
13	श्रीमति सुनिता सिंघल पत्नि श्री पदम् चन्द सिंघल	13	50	सामाजिक कार्यकर्ता	केलवाडा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)	साधारण
14	श्री भैरू सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह	14	28	कृषि	साखरोदा तहसील कनोतिया जिला उदयपुर (राज.)	साधारण
15	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह	15	48	सामाजिक कार्यकर्ता	कलोनिया पोर्ट कलोनिया जिला अजमेर (राज.)	साधारण



मंत्री  
अध्यक्ष

राजस्थान सोसायटी अधिनियम 1958 की वरा 19 के अन्तर्गत यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रादि संस्था के संबंध में प्रस्तुत किये गए पत्र जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ संख्या ..२०५.. से ..२०८.. तक उपलब्ध है की प्रमाणित प्रति है।

प्रमाणित प्रति देने की दिनांक:-

१३/३/२०२०

राजस्थान  
संस्थाएं बारी जिला बारी (राज.)

मंत्री  
मंत्री

कोषाध्यक्ष  
कोषाध्यक्ष

राजस्थान सरकार



## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक ..... ३९ ..... /बारां २०/१२-१३

यह प्रमाणित किया जाता है कि मा/नव सेवा अंक-भानु अम २०/१२-१३ जिला बाराँ  
दी/८८/८

का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या  
28/1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया है।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक <sup>२१</sup> २/११/२०/१२  
माह ११/१२/१२ सन् दो हजार ७५८ को जारी किया गया।



रजिस्ट्रार  
संस्थाएं, बाराँ